रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2011/अग्रहायण 1, 1933
No. 225] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2011/AGRAHAYANA 1, 1933

## भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2011

## भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन विनियम, 2011

## (2011 का सं. 2)

**सं. एल-3(2)/विनि-सा. (संशो.)/2011/सीसीआई.**—भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का सं. 12) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009, में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन, विनियम, 2011 है ।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में,—

   (1) विनियम 2 के उप-विनियम (1) में खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड (ङ क) को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

   "(ङ क) 'इलेक्ट्रानिक रूप' का अर्थ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2(द) में दिए गए अर्थ के समान ही होगा ।"

   (2) विनियम 21 के उप-विनियम (1) में "प्रतियाँ" शब्द के स्थान पर मूर्त प्रति अथवा अमूर्त प्रति (इलेक्ट्रानिक रूप में) शब्द रखे जाएंगे ।

एस. एल. बंकर, सचिव

[विज्ञापन III/4/187-एम/11/असा.]

**टिप्पण :** भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 22 मई, 2009 में प्रकाशित किया गया था, तत्पश्चात् इसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 20 अगस्त, 2009 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एल-3(2)/विनि.-साधा. (संशो.)/2009-10/सीसीआई द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 20 अक्तूबर, 2010 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एल-3(2)/विनि.-साधा. (संशो.)/2009-10, एवं भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 4 अप्रैल, 2011 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एल-3(2)/विनि.-साधा. (संशो.)/2009-2010/सीसीआई द्वारा संशोधित किया गया था ।

## THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2011

### The Competition Commission of India (General) Amendment Regulation, 2011

### (No. 2 of 2011)

**No. L-3(2)/Regln-Gen. (Amdt)/2011/CCI.**—In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations further to amend the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2011.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009,—

   (1) in regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (e), the following clause (ea) shall be inserted :—

   "(ea) 'Electronic form' shall have the same meaning as assigned to it under Section 2(r) of the Information Technology Act, 2000."

   (2) in regulation 21, in sub-regulation (1), the word "copies" shall be replaced by the words "either a hard or a soft copy (in electronic form)".

S. L. BUNKER, Secy.

[ADVT. III/4/187-M/11/Exty.]

**Note** :—The Competition Commission of India (General) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 22nd May, 2009. Subsequently amended by notification No. L-3(2)/ Regln-Gen. (Amdt.) 2009-10/CCI published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated August 20, 2009, No. L-3(2)Regln- Gen.(Amdt.)/2009-10/CCI, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated October 20, 2010, and No.L-3(2)Regln-Gen.(Amdt.)/2009-10/CCI, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated April 4, 2011. amd dt 22.11.2011

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.